छत्तीसगढ़ शासन
चिकित्सा (आयुष) विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन– अटल नगर, नवा रायपुर, 492002

आदेश

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 26 APR 2023

क्रमांक एफ 2–03/2019/55–एक :::::: राज्य शासन, एतद्द्वारा, संचालनालय, आयुर्वेद योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी (आयुष) छ0ग0 रायपुर के अंतर्गत शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय बिलासपुर में रीडर प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग एवं रीड़र पंचकर्म के पद पर निम्नलिखित शर्तों के आधार पर प्रतिमाह निश्चित समेकित वेतन में उनके नाम के सम्मुख दर्शाये गये पद एवं पदस्थान में संविदा नियुक्ति दी जाती है:–

स. क.	नाम एवं पता	संवर्ग	पद नाम	पदस्थापना स्थान का नाम	प्रतिमाह निश्चित समेकित वेतन
1	2	3	4	5	6.
1.	डॉ0 आंकाक्षा चंदेल, बी–50 विद्युत नगर, दुर्ग छ.ग.	अनारक्षित	रीडर, प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग	शास0आयु0महा0 बिलासपुर	रूपये 52,000/–
2.	डॉ0 मनोज कुमार बहेरा, एट/पो0 टेरम, तह. घरघोड़ा, जिला–रायगढ़ छ.ग.	अनारक्षित	रीडर, पंचकर्म	शास0आयु0महा0 बिलासपुर	रूपये 52,000/–

2/ संविदा नियम की शर्तें:–

1. संविदा सेवा में सिर्फ मासिक एकमुश्त राशि वेतन देय होगी। इसके अतिरिक्त कोई विशेष वेतन, मंहगाई भत्ता, क्षतिपूर्ति भत्ता, गृह भाड़ा भत्ता इत्यादि नहीं दिया जायेगा तथा संविदा नियुक्ति के अधीन वार्षिक वेतन वृद्धि की पात्रता नहीं होगी ।
2. किसी भी दशा में शासकीय सेवक नहीं होगा।
3. निजी प्रेक्टिस करने की अनुमति नहीं होगी।
4. छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम, 2012 में दिये गये निर्देशों के अंतर्गत चयनित अभ्यर्थियों को लोक सेवा आयोग से चयनित प्रत्याशी उपलब्ध होने/कार्य संतोषजनक न होने अथवा अधिकतम 01 वर्ष के लिए जो भी पहले हो, पर संविदा नियुक्ति स्वमेव समाप्त हो जावेगी।
5. संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों को प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष में 18 दिनों का आकस्मिक अवकाश तथा 03 दिनों का ऐच्छिक अवकाश की पात्रता होगी। वर्ष के मध्य में नियुक्त होने अथवा सेवामुक्त होने पर आकस्मिक अवकाश के पात्रता की गणना में अपूर्ण दिवस को आगामी पूर्ण दिवस से पूर्णांकित किया जावेगा। विश्रामावकाश विभागों में कैलेण्डर वर्ष का तात्पर्य 12 माह की वास्तविक सेवा लगाया जाएगा।

2......

6. संविदा नियुक्त व्यक्ति की जिस पद पर नियुक्ति की गई है, उस पद के समकक्ष शासकीय सेवकों के समान यात्रा भत्ते की पात्रता होगी।

7. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 एवं संविदा नियम, 2012 से शासित होंगे।

8. नियुक्ति के दौरान दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना या इसके एवज में एक माह का वेतन देकर नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।

9. संविदा नियुक्त व्यक्ति को सेवा समाप्ति पश्चात् संविदा नियुक्ति शासकीय सेवक के रूप में जितनी अवधि तक सेवा दी गई है उस अवधि के लिये किसी भी प्रकार के पेंशन, उपादान या मृत्यु लाभ आदि की पात्रता नहीं होगी।

10. उम्मीद्वार का चरित्र सत्यापन अनुपयुक्त पाये जाने पर संविदा नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा।

11 संविदा नियुक्त कर्मचारी को अपने परिवार की सामाजिक सुरक्षा के लिए संविदा राशि का कम से कम 10 प्रतिशत राशि जीवन बीमा पेंशन योजना अथवा पी.पी.एफ. में जमा करनी होगी ताकि इस बात की सूचना नियुक्ति प्राधिकारी को देनी होगी कि कर्मचारी द्वारा किस योजना वरण किया गया ।

12. संविदा पर नियुक्त कर्मचारी को संविदा की सम्पूर्ण अवधि में पदस्थापना के मुख्यालय पर निवास करना अनिवार्य है।

13 संविदा पर नियुक्त अधिकारियों को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व जिला मेडिकल बोर्ड से चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

14. चयनित अभ्यर्थियों को 15 दिवस के भीतर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(जनक कुमार)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन,
चिकित्सा शिक्षा (आयुष) विभाग
अटल नगर नवा रायपुर, दिनांक 26 APR 2023

पृ.क्र. एफ 2–03/2019/नौ/55–एक

प्रतिलिपिः–

1. विशेष सहायक, मान. मंत्रीजी चिकित्सा शिक्षा (आयुष) विभाग, मंत्रालय, अटल नगर,नवा रायपुर।
2. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग मंत्रालय अटल नगर, नवा रायपुर ।
3. संचालक, आयुर्वेद,योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी सिद्ध एवं होम्योपैथी (आयुष) इन्द्रावती भवन तृतीय तल अटल नगर, नवा रायपुर, की ओर सूचनार्थ।

4. प्राचार्य, शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय बिलासपुर (छ0ग0)। निर्देशित किया जाता है कि संबंधित की उपस्थिति मान्य करने के पूर्व समस्त मूल अभिलेखों का स्वयं अवलोकन कर सत्यापित छायाप्रतियां कार्यालय रिकार्ड हेतु रखें तथा उपस्थिति से अवगत करावें।
5. कोषालय अधिकारी, जिला कोषालय, बिलासपुर (छ0ग0)
6. कलेक्टर, जिला बिलासपुर (छ0ग0)
7 संबंधित डॉ0..द्वारा संचालक, आयुष।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन,
चिकित्सा शिक्षा (आयुष) विभाग